अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (24) में, उपखंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 2 का संशोधन।

'(xiii) 1 सितम्बर, 2004 को या उसके पश्चात्, किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा किसी व्यक्ति से —

(अ) नकद या चैक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से या जमा के रूप में ;

(आ) माल या सेवाओं के प्रतिफल के रूप से अन्यथा,

प्राप्त कोई राशि, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(I) ऐसी राशि, जो,—

(i) नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी नातेदार से किसी व्यष्टि को ; या

(ii) किसी वसीयत के अधीन या विरासत के रूप में किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को ; या

(iii) किसी कर्मचारी या मृत कर्मचारी के किसी आश्रित को नियोजक से बोनस, उपदान, पेंशन या बीमा या कोई ऐसी अन्य राशि जो एकमात्र रूप से कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं की मान्यता के रूप में,

प्राप्त होती है या उसके खाते में जमा की जाती है ; या

(II) किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता या सदस्य की मृत्यु को आसन्न मानकर प्राप्त कोई राशि ; या

(III) धारा 10 में निर्दिष्ट कोई आय या ऐसी अन्य आय, जो इस अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है या कुल आय में सम्मिलित नहीं है ; या

(IV) धारा 47 में निर्दिष्ट अंतरण न समझे गए संव्यवहार मद्दे प्राप्त कोई राशि ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "नातेदार" से अभिप्रेत है,—

(i) व्यष्टि का पति/की पत्नी ;

(ii) व्यष्टि का भाई या बहन ;

(iii) व्यष्टि के पति/की पत्नी का भाई या बहन ;

(iv) व्यष्टि के माता पिता में से किसी का भाई या बहन ;

(v) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज ;

(vi) व्यष्टि के पति/की पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज ;

(vii) खंड (ii) से खंड (vi) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पति/की पत्नी ।'।

धारा 7 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 7 के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) पूर्ववर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय ।"।

धारा 10 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (4) के उपखंड (ii) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि इस उपखंड की कोई बात 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात् ऐसे व्यष्टि को संदत्त या उसके अनिवासी (विदेशी) खाते में ब्याज के रूप में जमा की गई किसी आय को लागू नहीं होगी ;";

(ख) खंड (6खख) में, "31 मार्च, 1997 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 1997 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किए गए या 31 अगस्त, 2004 के पश्चात् किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार" अंक और शब्द 1 सितंबर, 2004 से रखे जाएंगे;

(ग) खंड (15) में 1 अप्रैल, 2005 से,—

(अ) उपखंड (iiiख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiग) यूरोपीय विनिधान बैंक को, 25 नवंबर, 1993 को केंद्रीय सरकार द्वारा उस बैंक के साथ किए गए वित्तीय सहयोग के लिए आधारभूत करार के अनुसरण में उसके द्वारा दिए गए उधार पर संदेय ब्याज ;";

(आ) उपखंड (iv) में, मद (चक) में, "किसी अनुसूचित बैंक द्वारा," शब्दों के पश्चात्, "1 सितंबर, 2004 के पूर्व" अंक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) खंड (15क) में, स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस खंड की कोई बात 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात् किए गए किसी ऐसे करार को लागू नहीं होगी।";

(ङ) खंड (18) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(19) संघ के सशस्त्र बल के (जिसके अंतर्गत अर्द्ध सैनिक बल भी हैं), यथास्थिति, किसी सदस्य की विधवा या उसके बालकों या नामनिर्दिष्ट वारिसों द्वारा प्राप्त कुटुंब पेंशन, जहां ऐसे सदस्य की मृत्यु संक्रियात्मक कर्त्तव्य के दौरान ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी दशाओं के अध्यधीन, जो विहित की जाएं, हुई है ;";

(च) खंड (23चख) में, 1 अक्तूबर, 2004 से,—

(i) स्पष्टीकरण 1 में खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) "जोखिम पूंजी उपक्रम" से ऐसा कोई जोखिम पूंजी उपक्रम अभिप्रेत है जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट किया गया है और इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा राजपत्र में उस रूप में अधिसूचित किया गया है ;'; 1992 का 15

(ii) स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाएगा ;

(छ) खंड (23छ) में, स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी की धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांशों, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी आय को, बही लाभ और धारा 115ञख के अधीन संदेय आय-कर की संगणना करने में गिना जाएगा।";

(ज) खंड (36) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(37) किसी निर्धारिती की दशा में, जो कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कृषि भूमि के अंतरण से उद्भूत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय, जहां—

(i) ऐसी भूमि धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) या मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित है ;

(ii) ऐसी भूमि, अंतरण की तारीख के ठीक पूर्व दो वर्षों की अवधि के दौरान ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यष्टि या उसके किसी माता-पिता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही थी ;

(iii) ऐसा अंतरण, किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन या किसी अंतरण के रूप में है, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिफल का अवधारण या अनुमोदन किया गया है ;

(iv) ऐसी आय प्रतिकर या ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल से उद्भूत हुई है, जो निर्धारिती द्वारा 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्राप्त किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिकर या प्रतिफल" पद में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा बढ़ाया गया या और बढ़ाया गया प्रतिकर या प्रतिफल सम्मिलित है ।

(38) किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से, जो प्रतिभूति है और ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में किया जाता है, उद्भूत आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

1956 का 42 (क) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ;

1956 का 42 (ख) मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है ;';

(39) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xiii) में निर्दिष्ट कोई आय, उस सीमा तक, जिस तक पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त की गई या जमा की गई ऐसी आय का योग,—

(क) पच्चीस हजार रुपए की राशि से ; और

(ख) किसी व्यष्टि द्वारा अपने विवाह के अवसर पर प्राप्त की गई एक लाख रुपए से अनधिक और राशि से,

अधिक नहीं है । " ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक में, उपधारा (2) के पश्चात्, अंत में निम्नलिखित उपधारा 1 अक्तूबर, 2004 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 12कक का संशोधन ।

"(3) जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, उस न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह ऐसे न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे न्यास या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।"।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (1) के उपखंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन।

"(viii) पूर्ववर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय ।"।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के पहले परंतुक के खंड (आ) में, 1 अप्रैल, 2005 से, "पच्चीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे । धारा 32 का संशोधन।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 33कग की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 33कग का संशोधन।

"परंतु यह भी कि कोई कटौती 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 35कग में उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर, 1 अक्तूबर, 2004 से निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 35कग का संशोधन ।

"(4) जहां कोई संगम या संस्था, उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है और तत्पश्चात्—

(i) उस समिति का समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, कार्यान्वित नहीं की जा रही है ; या

(ii) ऐसे संगम या संस्था ने, जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है,

वहां, राष्ट्रीय समिति, संबंधित संगम या संस्था को, अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, किसी समय, ऐसे अनुमोदन को वापस ले सकेगी :

परंतु अनुमोदन वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय समिति द्वारा उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी संबंधित संगम या संस्था पर अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी ।

(5) जहां कोई परियोजना या स्कीम, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित की गई है और तत्पश्चात्—

(i) राष्ट्रीय समिति का समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी, कार्यान्वित नहीं की जा रही है ; या

(ii) ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में रिपोर्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत नहीं की गई है,

वहां ऐसी अधिसूचना उसी रीति से वापस ली जा सकेगी जिसमें वह जारी की गई थी :

परंतु अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को राष्ट्रीय समिति द्वारा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि उस अधिसूचना की प्रति, जिसके द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम की अधिसूचना वापस ली जाती है, उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी पर, जो ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम चला रहा है, अधिकारिता है, अग्रेषित की जाएगी ।"।

धारा 40 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) के उपखंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड 1 अक्तूबर, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iक) किसी निवासी को संदेय कोई ब्याज, कमीशन या दलाली, वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी काम को करने के लिए (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) ठेकेदार या उप-ठेकेदार, जो निवासी है, के खाते में जमा की गई या उसको संदत्त ऐसी रकम, जिस पर कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् उसे धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन और अध्याय 17ख के अन्य उपबंधों के अनुसार विहित समय की समाप्ति के पूर्व संदत्त नहीं किया गया है :

परंतु जहां किसी ऐसी राशि की बाबत अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती की गई है या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में उसका संदाय किया गया है, वहां ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष की जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "कमीशन या दलाली" का वही अर्थ है जो धारा 194ज के स्पष्टीकरण के खंड (i) में है ;

(ii) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(iii) "वृत्तिक सेवाओं" का वही अर्थ है जो धारा 194ञ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है ;

(iv) "काम" का वही अर्थ है जो धारा 194ग के स्पष्टीकरण 3 में है ;'।

धारा 56 का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में खंड (iv) के पश्चात्, अंत में, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2005 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(v) धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xiii) में निर्दिष्ट आय : "।

धारा 71 का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 71 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2क) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है और निर्धारिती की "वेतन" शीर्ष के अधीन निर्धारणीय आय है, वहां निर्धारिती इसका हकदार नहीं होगा कि वह ऐसी हानि का ऐसी आय के प्रति मुजरा करा ले।"।

नई धारा 80गगघ का अंतःस्थापन । केन्द्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'80गगघ. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है, पूर्ववर्ष में ऐसी किसी पेंशन स्कीम के अधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, कोई रकम अपने खाते में संदत्त या निक्षिप्त की है, वहां उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, उसकी कुल आय की संगणना करने में इस प्रकार संदत्त या निक्षिप्त की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती की दशा में केन्द्रीय सरकार उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके खाते में कोई संदाय करती है वहां निर्धारिती को उसकी कुल आय की संगणना करने में केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई संपूर्ण रकम की, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक न हो, कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती के खाते में उसके नाम में जमा ऐसी कोई रकम, जिसके संबंध में उस उपधारा या उपधारा (2) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, उस पर प्रोद्भूत रकम के साथ, यदि कोई हो, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा पूर्णतः या भागतः किसी पूर्ववर्ष में,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम की समाप्ति या उसके उसमें न रहने का विकल्प लेने के कारण ; या

(ख) ऐसी समाप्ति या उसमें न रहने का विकल्प लेने पर क्रय की गई या ली गई वार्षिकी योजना से प्राप्त पेंशन के रूप में,

प्राप्त की जाती है, वहां खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट संपूर्ण रकम उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी रकम प्राप्त की जाती है, यथास्थिति, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती की आय समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित होगी ।

(4) जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम उपधारा (1) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "वेतन" के अंतर्गत, यदि नियोजन के निबंधनों में ऐसा उपबंध हो जो महंगाई भत्ता है, किन्तु सभी अन्य भत्ते और परिलब्धियां अपवर्जित हैं ।'।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ के स्पष्टीकरण में 1 अप्रैल, 2005 से,— धारा 80घघ का संशोधन।

(क) खंड (ग) में, अंत में आने वाले "1995 की धारा 2 के खंड (झ) में है" अंकों, शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग) और खंड (ज) में निर्दिष्ट 'स्वपरायणता', 'प्रमस्तिष्क घात' और 'बहु-निःशक्तता' भी है" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

1999 का 44

(ख) खंड (ङ) के अंत में आने वाले "निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है" शब्दों के स्थान पर, "निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी या ऐसा अन्य चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ज), खंड (ञ) और खंड (ण) में निर्दिष्ट 'स्वपरायणता', 'प्रमस्तिष्क घात', 'बहु-निःशक्तता', 'निःशक्त व्यक्ति' और 'गंभीर निःशक्तता' को प्रमाणित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

1999 का 44

(ग) खंड (च) में, "खंड (न) में" शब्दों, कोष्ठक और अक्षर के पश्चात्, "या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ञ) में" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

1999 का 44

(घ) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(छ) "गंभीर निःशक्त व्यक्ति" से,—

(i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति ; या

1996 का 1

(ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट गंभीर निःशक्त व्यक्ति,

1999 का 44

अभिप्रेत है ;'।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में 1 अप्रैल, 2005 से,— धारा 80झक का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, "विद्युत का पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है" शब्दों के पश्चात्, "या विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में,—

(अ) आरंभिक भाग में, "खंड (iv) में निर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, "खंड (ii) या खंड (iv) में निर्दिष्ट" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

2003 का 36

"परंतु इस उपधारा की कोई बात, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2 के खंड (7) में निर्दिष्ट किसी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के अंतरण, चाहे पूर्णतः हो या भागतः, की दशा में लागू नहीं होगी, चाहे ऐसा अंतरण उस अधिनियम के भाग 13 के अधीन बोर्ड के खंडन या पुनर्संरचना या पुनर्गठन के अनुसरण में है या नहीं ।";

(ग) उपधारा (4) में,—

(अ) खंड (ii) में, "31 मार्च, 2004" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2005" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (iv) में उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण" से पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क में संयंत्र और मशीनरी में 1 अप्रैल, 2004 को ऐसे संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पचास प्रतिशत तक की कोई वृद्धि अभिप्रेत है ।'।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2005 से,— धारा 80झख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में "उपधारा (11) और (11क)" शब्द, कोष्ठक, अंकों और अक्षर के स्थान पर, " उपधारा (11), उपधारा (11क) और उपधारा (11ख)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) में तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में पहले परंतुक के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "31 मार्च, 2004" अंकों और शब्द के स्थान पर, "31 मार्च, 2005" अंक और शब्द रखे गए थे :

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन कोई कटौती जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो तेरहवीं अनुसूची के भाग 'ग' में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है;';

(ग) उपधारा (8क) के खंड (iii) में, "1 अप्रैल, 2004" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2005" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(10) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2007 के पूर्व अनुमोदित आवासन परियोजना के विकास और निर्माण में लगा हुआ है, कटौती की रकम किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में ऐसी आवासन परियोजना से व्युत्पन्न लाभ का सौ प्रतिशत होगी यदि,—

(क) ऐसे उपक्रम ने आवासन परियोजना का विकास और सन्निर्माण 1 अक्तूबर, 1998 को या उसके पश्चात् प्रारंभ कर

दिया है या प्रारंभ करता है और ऐसा सन्निर्माण उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें आवासन परियोजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है, समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर पूरा कर लेता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ऐसी दशा में, जहां किसी आवासन परियोजना के संबंध में एक से अधिक बार अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाता है, वहां ऐसी आवासन परियोजना उस तारीख को अनुमोदित की गई समझी जाएगी जिसको ऐसी आवासन परियोजना की भवन योजना स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पहली बार अनुमोदित की जाती है ;

(ii) आवासन परियोजना के सन्निर्माण के समापन की तारीख वह तारीख मानी जाएगी जिसको ऐसी आवासन परियोजना के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ;

(ख) परियोजना ऐसे आकार के भू-भाग पर है जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात विद्यमान भवनों के पुनःसन्निर्माण या पुनःविकास के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई और इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के अनुसार चलाई जा रही आवासन परियोजना को लागू नहीं होगी ;

(ग) जहां, ऐसी निवास इकाई दिल्ली या मुंबई शहरों के भीतर या इन शहरों की नगरपालिक सीमाओं के पच्चीस किलोमीटर के भीतर अवस्थित है, वहां निवास इकाई का एक हजार वर्ग फुट अधिकतम निर्मित क्षेत्र है और किसी अन्य स्थान पर पन्द्रह सौ वर्ग फुट है ; और

(घ) आवासन परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनों का निर्मित क्षेत्र, आवासन परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र के पांच प्रतिशत या दो हजार वर्ग फुट, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं है ।";

(ङ) उपधारा (11क) में, "ऐसे उपक्रम की दशा में, जो" शब्दों के पश्चात्, "फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में या" शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(च) उपधारा (11क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(11ख) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण के कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी, यदि—

(i) ऐसे अस्पताल का विनिर्माण 1 अक्तूबर, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय किया जाता है ;

(ii) अस्पताल में रोगियों के लिए कम से कम सौ बिस्तर हैं ;

(iii) अस्पताल का सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के तत्समय प्रवृत्त विनियमों के अनुसार है ; और

(iv) निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं तथा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रूप में यह प्रमाणित करके कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई अस्पताल उस तारीख को, सन्निर्मित किया गया समझा जाएगा, जिसको ऐसे सन्निर्माण के संबंध में संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।";

(छ) उपधारा (14) में,—

(अ) खंड (क) और खंड (कक) को क्रमशः खंड (कक) और खंड (कख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःअक्षरांकित खंड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "निर्मित क्षेत्र" से किसी निवास इकाई का भूमि की सतह पर भीतरी माप अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत दीवारों की मोटाई द्वारा बढ़ाए गए निकले भाग और बालकनी भी हैं किंतु जिसके अंतर्गत ऐसा सामान्य क्षेत्र नहीं है जिसमें अन्य निवास इकाइयां भागीदार हैं ;';

(आ) खंड (ग) में,—

(I) उपखंड (iv) के प्रारंभ में, "खाद्यान्नों की उठाई-धराई" शब्दों से पहले, "फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में या" शब्द, अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) उपखंड (vi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vii) किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे हुए किसी उपक्रम की दशा में, उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें उपक्रम चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराना आरंभ करता है ;"।

धारा 80प का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80प के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2005 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "निःशक्तता" का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (ञ) में है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग) और खंड (ज) में निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात" और "बहु-निःशक्तता" भी है ; 1996 का 1 1999 का 44

1996 का 1 (ख) "चिकित्सा प्राधिकारी" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी या ऐसा अन्य चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ज), खंड (ञ) और खंड (ण) में निर्दिष्ट "स्वपरायणता", "प्रमस्तिष्क घात", "बहु-निःशक्तता", "निःशक्त व्यक्ति", और "गंभीर निःशक्तता" को प्रमाणित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

1999 का 44

1996 का 1 (ग) "निःशक्त व्यक्ति" से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ञ) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;

1999 का 44

(घ) "गंभीर निःशक्त व्यक्ति" से,—

1996 का 1 (i) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में यथा निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति ; या

1999 का 44 (ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट गंभीर निःशक्त व्यक्ति,

अभिप्रेत है ।'।

धारा 87 का संशोधन। **19.** आय-कर अधिनियम की धारा 87 में, 1 अप्रैल, 2005 से,—

(क) उपधारा (1) में, "धारा 88, धारा 88क, धारा 88ख और धारा 88ग" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 88, धारा 88क, धारा 88ख, धारा 88ग और धारा 88घ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "या धारा 88ग" शब्दों, अंक और अक्षर के पश्चात्, "या धारा 88घ" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 88 का संशोधन। **20.** आय-कर अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xv) के उपखंड (ग) में, मद (6) के पश्चात् निम्नलिखित मद, 1 अप्रैल, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6क) निर्धारिती का नियोजक, जहां ऐसा नियोजक, किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई निगम अथवा कोई अन्य निकाय है ; या ।"।

नई धारा 88घ का अंतःस्थापन । **21.** आय-कर अधिनियम की धारा 88ग के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2005 से निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

ऐसे व्यष्टियों की दशा में, जिनकी आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर का रिबेट । "88घ. ऐसा निर्धारिती, जो भारत में निवासी व्यष्टि है और जिसकी कुल आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, अपनी कुल आय पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य आय-कर की रकम में से (जिसकी इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणना की जाती है) ऐसे आय-कर के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगा ।"।

धारा 90 का संशोधन। **22.** आय-कर अधिनियम की धारा 90 के स्पष्टीकरण में, "जहां ऐसी विदेशी कंपनी ने लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) जो भारत में उसकी आय में से संदेय हैं, भारत में घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था नहीं की है ।" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1962 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

धारा 94 का संशोधन। **23.** आय-कर अधिनियम की धारा 94 में, 1 अप्रैल, 2005 से,—

(क) उपधारा (7) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) ऐसा व्यक्ति,—

(i) ऐसी प्रतिभूतियों का, ऐसी तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर, या

(ii) ऐसी यूनिट का, ऐसी तारीख के पश्चात् नौ मास की अवधि के भीतर,

विक्रय या अंतरण करता है ;";

(ख) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(8) जहां,—

(क) कोई व्यक्ति रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं यूनिटों का क्रय करता है या अर्जन करता है ;

(ख) ऐसे व्यक्ति को ऐसी तारीख को ऐसी यूनिटें धारण करने के आधार पर कोई संदाय किए बिना अतिरिक्त यूनिटें आबंटित की जाती हैं ;

(ग) ऐसा व्यक्ति खंड (क) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं यूनिटों का ऐसी तारीख के पश्चात् नौ मास की अवधि के भीतर विक्रय या अंतरण करता है, जबकि वह खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं अतिरिक्त यूनिटों को धारण किए रहता है,

वहां ऐसी सभी या किन्हीं यूनिटों के ऐसे क्रय और विक्रय मद्दे उसको उद्भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, कर के लिए प्रभार्य उसकी आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार हिसाब में नहीं ली गई हानि की रकम, खंड (ख) में निर्दिष्ट ऐसी अतिरिक्त यूनिटों के, जो उसके द्वारा ऐसे अंतरण या विक्रय की तारीख को धारण की जाती है, क्रय या अर्जन की, लागत समझी जाएगी ।";

(ग) स्पष्टीकरण में, खंड (कक) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "रिकार्ड तारीख" से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो,—

(i) लाभांश प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति धारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी द्वारा ; या

(ii) यथास्थिति, आय या प्रतिफल के बिना अतिरिक्त यूनिट प्राप्त करने के लिए यूनिटों के धारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी पारस्परिक निधि या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट उपक्रम या विनिर्दिष्ट कंपनी के प्रशासक द्वारा,

नियत की जाए ;"।